निबंधित/ ई–मेल

पत्र संख्याः 1/प्रो0–1001/2021–सा0प्र0–...9603.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार, भा0प्र0से0

सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांकः 27 अगस्त, 2021

विषयः– **चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी संबंधित पंचांग वर्ष की 28/29 फरवरी तक समर्पित नहीं किये जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद, परिषद् इत्यादि) में सेवारत (प्रतिनियुक्ति आधारित सेवा सहित) अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा/अन्य केन्द्रीय सेवाओं के सभी पदाधिकारियों तथा राज्य के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी किसी पंचाग वर्ष के 31 दिसम्बर के उपरान्त आगामी पंचांग वर्ष की 28/29 फरवरी तक समर्पित करते हुए उसे संबद्ध विभागों के वेबसाइट पर सार्वजनिक करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक वर्ष निदेशित किया जाता है।

परन्तु, प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय पदाधिकारियों/ कार्मिकों/कर्मियों द्वारा या तो वांछित चल–अचल सम्पत्ति विवरणी समर्पित ही नहीं की जाती है अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद समर्पित की जाती है। जबकि, इस हेतु बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19

के उपनियम—8 में उपबंध है कि किसी पंचाग वर्ष के 31 दिसम्बर के बाद समय पर **(अर्थात् आलोच्य नियमावली के नियम—19 के उप नियम—i के आलोक में संबंधित पंचाग वर्ष के 28/29 फरवरी तक)** वांछित विवरणी समर्पित नहीं करने वाले सरकारी सेवक के वेतन का भुगतान रोका जा सकेगा और ऐसे व्यवहार/आचरण को गंभीर कदाचार मानते हुए संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन अपेक्षित होगा। उपनियम—8 का मूल भाग निम्नवत् है:—

''वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।''

2. यथा वर्णित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि —

(i) जिन पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा पंचाग वर्ष 2020 की सम्पत्ति विवरणी अब तक समर्पित नहीं की गयी है, उनसे वांछित विवरणी के असमर्पित रहने के संबंध में एक माह का समय देते हुए स्पष्टीकरण पूछा जाए और उक्त अवधि में भी वांछित विवरणी अप्राप्त रहने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध सरकारी आदेश के उल्लंघन का विधिवत् आरोप—पत्र निर्गत करते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ की जाए।

(ii) आगामी पंचांग वर्षो (पंचांग वर्ष 2021 और उसके बाद के वर्ष) के लिए सभी विभागीय प्रधान/कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि वे स्वयं और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मी संबंधित पंचांग वर्ष के 28/29 फरवरी तक चल—अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में अवश्य समर्पित कर देंगे अन्यथा फरवरी माह और उसके बाद के वेतन का आहरण/भुगतान तबतक नहीं होगा, जबतक की वांछित विवरणी समर्पित नहीं कर दी जाती है;

और दिनांक 28/29 फरवरी तक जो पदाधिकारी/कर्मी वांछित विवरणी समर्पित नहीं करेंगे, उन्हें एक माह के अन्दर कारण

स्पष्ट करते हुए विवरणी समर्पित करने हेतु निदेशित किया जाएगा तथा एक माह की उक्त अवधि में भी विवरणी के असमर्पित रहने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विधिवत् आरोप–पत्र निर्गत करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाएगी।

(iii) प्रत्येक विभागीय/कार्यालय प्रधान संबंधित पंचांग वर्ष (जिसके लिए विषयगत विवरणी का समर्पण वांछित हो) में 28/29 फरवरी तक वांछित विवरणी समर्पित करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची सहित उनकी सम्पत्ति विवरणियाँ एवं उसकी एक सी0डी0 आधिकारिक वेबसाइट पर डालने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को अवश्य उपलब्ध करा देंगे। तत्पश्चात्, विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही और प्रत्येक छः माह पर उसके फलाफल का विवरण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को हार्ड और सॉफ्ट प्रति में उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन

25/8/21

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—1/प्रो0—1001/2021—सा0प्र0— 9603 /पटना—15, दिनांकः 27 अगस्त, 2021

प्रतिलिपिः— केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बिहार संवर्ग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/राज्य में सेवारत एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अन्य सभी पदाधिकारी/केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/श्री के0 सी0 राजू, अवर सचिव (ए वी डी.I/A), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली—110 001/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम (बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पषर्द इत्यादि) के प्रधान/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारी/कर्मी/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/21

सरकार के प्रधान सचिव।

177 |F:\HAIDER\2021\Letter Hindi